न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण सं. 391/2022 प्रार्थनापत्र

1. श्रीमती नीरूबाला छीपा पत्नी श्री कैलाशचंद्र उर्फ डालचंद छीपा निवासी आटूण हाल निवासी कोटड़ी तहसील–कोटड़ी ,जिला भीलवाड़ा
2. सुप्रिया पुत्री श्री कैलाशचंद्र उर्फ डालचंद छीपा निवासी आटूण हाल निवासी कोटड़ी तहसील–कोटड़ी ,जिला भीलवाड़ा
3. भानुप्रिया पुत्री श्री कैलाशचंद्र उर्फ डालचंद छीपा निवासी आटूण हाल निवासी कोटड़ी तहसील–कोटड़ी ,जिला भीलवाड़ा
4. मनीष कुमार पिता श्री कैलाशचंद्र उर्फ डालचंद छीपा निवासी आटूण हाल निवासी कोटड़ी तहसील–कोटड़ी ,जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
2. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा जरिये सचिव , नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 22–08–2024

उपस्थित :– श्री भैरूलाल बापना व श्री विपुल बापना
अधिवक्तागण – प्रार्थीगण

इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 30–10–2022 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है ।

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रामचंद्र पिता किशना छीपा निवासी आटूण का पुत्र कैलाशचंद्र उर्फ डालचंद हुआ जिनके वारिसान प्रार्थीगण श्रीमती नीरूबाला वगैरह है । राजस्व ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में प्रार्थीगण के पूर्वज श्री रामचंद्र पिता किशना छीपा के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की साबिक आराजी नंबर 812/04 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2018 से 2025 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड है एवं प्रार्थीगण के पूर्वज श्री रामचंद्र ने साबिक आराजी नंबर 812/01 में से तत्कालीन खातेदार से 03 बीघा भूमि क्रय की थी जिसका इन्द्राज भी जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में दर्ज रिकार्ड है । इस प्रकार प्रार्थीगण के पूर्वज श्री रामचंद्र जी के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की साबिक आराजी रिकार्ड के अनुसार 13 बीघा भूमि होकर उस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वज श्री रामचंद्र जी के समय से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

बाद सेटलमेंट उक्त साबिक आराजियात के नये नंबर कायम करते हुए आराजी नंबर 661 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा , 662 रकबा 05 बिस्वा , 663 रकबा 02 बिस्वा , 664 रकबा 02 बिस्वा , 665 रकबा 05 बिस्वा , 666 रकबा 10 बिस्वा , 667 रकबा 09 बिस्वा , 668 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा , 669 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा में से आंशिक हिस्सा 669/1 रकबा 18 बिस्वा , 670 रकबा 14 बिस्वा कुल रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा भूमि ही प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम पर दर्ज की गयी एवं आराजी नंबर 669 , 671 , 672 जो कि प्रार्थीगण के पूर्वज श्री रामचंद्र जी के खातेदारी की आराजियात को दौराने सेटलमेंट प्रार्थीगण के पूर्वज श्री रामचंद्र जी के नाम से सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार के हटाते हुए व भूमि की किस्म बदलते हुए चरागाह सरकार के नाम दर्ज कर दी जबकि सेटलमेंट अधिकारियों को पूर्व का इन्द्राज ही दोहराना था , उन्हें किसी का नाम हटाने का व जोड़ने का अधिकार नहीं था फिर भी उक्त इन्द्राज राजस्व अधिकारियों ने अपने अधिकारों से परे जाकर किया जिसको दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण हाल आराजी संख्या 669 का शेष रकबा 08 बिस्वा, 671 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, 672 रकबा 15 बिस्वा जिनका वर्तमान जमाबंदी में हैक्टेयर में रकबा आराजी संख्या 669 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, 671 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, आराजी संख्या-671/1 रकबा 0.2403 हैक्टेयर , आराजी संख्या-671/2 रकबा 0.3414 हैक्टेयर , 672 रकबा 0.1897 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं।

उक्त हाल आराजी संख्या 669, 671, 671/1, 671/2, 672 प्रार्थीगण के पूर्वज श्री रामचंद्र जी के समय की होकर उनके खातेदारी अधिकार एव आधिपत्य की आराजियात होकर उन पर श्री रामचंद्र जी के निधन के बाद प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त एवं उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं मात्र राजस्व अधिकारियों की गलती व लापरवाही के कारण श्री रामचंद्र जी के खातेदारी की साबिक आराजियात से बनी हाल आराजी संख्या 669, 671, 671/1, 671/2, 672 को उनके नाम से गलत रूप से हटाते हुए सरकार के नाम पर दर्ज की जो विधि विरुद्ध है एवं प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं। उक्त आराजियात सरकार के नाम पर दर्ज होने की जानकारी अभी हाल ही में 24/11/2021 में हुई जब पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर प्रार्थीगण को कहा कि उक्त आराजी संख्या 669, 671, 671/1, 671/2, 672 जिस पर प्रार्थीगण काबिज हैं वह भूमि सरकार के नाम पर दर्ज हैं तब प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड की छानबीन करते हुए जानकारी की तो उक्त प्रकार से सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण के पूर्वज की साबिक आराजियात से बनी हाल आराजियाल को बिना किसी आधार के गलत रूप से सरकार के नाम पर दर्ज कर ली गई इस कारण प्राथर्थीगण के यह प्रार्थनापत्र विपक्षीगण के विरुद्ध खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती व प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो काफी मजबूत आधारों पर होने से अवश्य ही डिक्री होगा, लेकिन उसमें समय लगने की सम्भावना है. इस कारण विपक्षीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश है ।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के अंत में निवेदन किया कि विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावे कि विपक्षीगण ग्राम आटूण तहसील-भीलवाड़ा के हाल आराजी नं. 669 , 671 , 671/1 , 671/2 व 672 में प्रार्थीगण के कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावे तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार भीलवाड़ा ने मूल वाद में जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि आराजी नंबर 812/4 रकबा 10 बीघा रामचंद्र पिता किशना छीपा के नाम पर खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी जिसका अंकन जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में हो रहा है । इसके अतिरिक्त रामचंद्र पिता किशना छीपा के द्वारा साबिक आराजी नं. 812/1 रकबा 3 बीघा भूमि क्रय भी की गयी थी । साबिक आराजी नं. 812/4 व 812/1 के सेट्लमेंट के बाद नये खसरा संख्या 661 ,662 ,663 ,664 ,665 ,669 ,670, 671 , 672 बने जिसमें से 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि रामचंद्र के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज की गयी तथा आराजी सं. 669 , 671 , 672 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा को चरागाह के रूप में दर्ज हुई है । उक्त चरागाह भूमि खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज होनी थी जो कि सेट्लमेंट के पश्चात् सहवन से चरागाह भूमि में दर्ज हो गयी । आराजी सं. 671 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा , आराजी सं. 672 रकबा 15 बिस्वा व आराजी सं. 669/1 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा बनता है । आराजी सं. 671 में से 19 बिस्वा भूमि गै.मु. सड़क नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम पर दर्ज हो गयी है । आराजी संख्या 671 , 669/1 , 672 जो कि वर्तमान में चरागाह भूमि दर्ज रेकार्ड है जिस पर वादीया के ससुर का पूर्व में कब्जा था जिसका अंकन पी-14 की नकलों व पेनल्टी की रसीदों में है ।

विपक्षी अप्रार्थी सं. 2 नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा भी तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के अनुसार ही अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

अप्रार्थी पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के इस प्रार्थनापत्र का जवाब पेश न कर मूल दावे में पेश जवाबदावे पर ही **Rely** करते हैं ।

उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत समायत की गयी । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया कि गत बंदोबस्त में उक्त भूमि प्रार्थीया से ससुर रामचंद्र जी छीपा के नाम पर दर्ज थी लेकिन नये बंदोबस्त में 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि उनके नाम पर कम दर्ज हुई है जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती के लिये यह वादपत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि यह शेष भूमि भी वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज की जावे । विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा तकरीबन वाद को स्वीकार करने के समान है ।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया । प्राकृतिक न्यास के सिद्धान्त अनुसार वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि का संरक्षण किया जाना आवश्यक होता है जैसाकि माननीय राजस्व मंडल ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2017 (1) **RRT** पेज 491 पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया है

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

कि **"Property in dispute should be preserved till the decision of the suit ."**

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है और सुविध संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है । अगर वाद के निस्तारण के पूर्व ही वादग्रस्त भूमि के मौके व रेकार्ड की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित है ।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आदूण तहसील–भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी संख्या 669 रकबा 0.1012 हैक्टेयर , आराजी संख्या 671 रकबा 0.3667 हैक्टेयर , आराजी संख्या 671/1 रकबा 0.2403 हैक्टेयर , आराजी संख्या 671/2 रकबा 0. 3414 हैक्टेयर , 672 रकबा 0.1897 हैक्टेयर के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा